भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3599

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है।

.....

नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट जल का बहिःस्त्राव किया जाना

3599. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट जल के सीधे नदियों में बहिःस्त्राव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उचित जल शोधन के बिना उद्योगों द्वारा नदियों में गंदे पानी का बहिःस्त्राव किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो विगत तीन वर्षों के दौरान बिना शोधन के नदियों में जल का बहिःस्त्राव करने वाले ऐसे कितने उद्योगों की पहचान की गई है और इन उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन कराया गया है, जिससे यह पता चलता हो कि विगत तीन वर्षों में देश में नदियों के जल की गुणवत्ता में कमी आई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों और स्थानीय निकायों को क्रमशः एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ईटीपी)/कॉमन एफ्लुएंट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) स्थापित करना और नदी और जल निकायों में निर्वहन से पहले निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन करने के लिए उनके बहिःस्रावों/सीवेज का उपचार आवश्यक है। तदनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ (पीसीसी) उद्योगों के बहिस्राव निर्वहन मानकों के संबंध में निगरानी करते हैं और इन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्रवाई करते हैं।

नदियों में औद्योगिक बहिःस्राव को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट निर्वहन मानकों की अधिसूचना जारी करना, उद्योगों के वर्गीकरण के लिए मानदंडों में संशोधन करना और सभी एसपीसीबी/पीसीसी को इसे अपनाने के लिए निर्देश जारी करना, सहमति जारी करना, एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा संचालित करने के लिए सहमति देने के लिए, निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन सत्यापन के लिए सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) के नियमित और औचक निरीक्षण, प्रवाह गुणवत्ता और अनुपालन स्थिति के आकलन के लिए ऑनलाइन सतत प्रवाह निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना शामिल हैं। इसके अलावा, उद्योगों को तकनीकी प्रगति द्वारा अपने

अपशिष्ट जल उत्पादन को कम करने, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग/पुनर्चक्रण, जहाँ भी संभव हो, और शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

देश में नदियाँ मुख्य रूप से शहरों/कस्बों से अनुपचारित और आंशिक रूप से उपचारित सीवेज के निर्वहन और उनके संबंधित जलग्रहण क्षेत्रों में औद्योगिक अपशिष्टों के कारण प्रदूषित हैं। प्रदूषण के गैर-बिंदु स्रोत जैसे कृषि अपवाह, खुले में शौच, ठोस अपशिष्ट डंप साइटों से अपवाह आदि भी नदियों के प्रदूषण में योगदान करते हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण ने समस्याओं को और बढ़ा दिया है।

सीपीसीबी ने देश में 2859 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (जीपीआई) की पहचान की है। इनमें से, 2197 उद्योग चालू हैं और 662 उद्योग अपने आप बंद हो गए हैं। 2197 संचालित उद्योगों में से, 2059 उद्योग निर्धारित पर्यावरण मानकों का पालन कर रहे हैं, जबकि 138 पालन नहीं कर रहे हैं। तदनुसार, अनुपालन न करने वाले 53 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 66 उद्योगों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं और 3 उद्योगों के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं। देश में जीपीआई इकाइयों की राज्य-वार स्थिति **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

देश में प्रदूषित नदी खंडों के संरक्षण के संबंध में मूल आवेदन संख्या 673/2018 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में, सीपीसीबी द्वारा चिन्हित और 2018 में प्रकाशित उनकी रिपोर्ट के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित समयसीमा के भीतर में अपने क्षेत्राधिकार के प्रदूषित हिस्सों की बहाली के लिए अनुमोदित कार्य योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। एनजीटी के आदेशों के अनुसार, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है और यह केंद्रीय स्तर पर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी किया जाता है।

(घ): एसपीसीबी/पीसीसी के सहयोग से सीपीसीबी निगरानी स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से नियमित रूप से देश में नदियों और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। नवंबर, 2022 की सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) स्तरों जो जैविक प्रदूषण का संकेतक है, के संदर्भ में निगरानी परिणामों के आधार पर 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की गई है, । सितंबर, 2018 में प्रकाशित सीपीसीबी की रिपोर्ट द्वारा पहचानी गई प्रदूषित नदी के हिस्सों की संख्या 351 से घटकर 311 हो गई है। प्रदूषित नदी के हिस्सों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में है।

अनुलग्नक- I

"नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट जल का बहि:स्त्राव किया जाना" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 03.04. 2023 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3599 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (जीपीआई) की स्थिति

क्र.सं.	एसपीसीबी/पीसीसी	उद्योगों की कुल संख्या	स्वयं बंद किए गए उद्योगों की संख्या	कार्यरत उद्योगों की संख्या	पर्यावरण मानकों का अनुपालन करने वाले उद्योगों की संख्या	पर्यावरण मानकों का पालन न करने वाले उद्योगों की संख्या	उन उद्योगों की संख्या जिनके विरुद्ध पर्यावरणीय मानकों का पालन न करने पर कार्रवाई की गई			
							कारण बताओ नोटिस जारी	बंद करने के निर्देश जारी	कानूनी मामले दर्ज	कार्रवाई प्रक्रियाधीन ह
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	56	7	49	48	1	0	0	1	0
3	अरुणाचल प्रदेश	97	8	89	63	26	3	23	0	0
4	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	84	34	50	50	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	2	0	2	1	1	0	1	0	0
8	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	3	0	3	3	0	0	0	0	0
10	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	गुजरात	25	1	24	20	4	3	0	0	1
12	हरियाणा	661	40	621	602	19	1	18	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	69	0	69	66	3	3	0	0	0
15	झारखंड	45	6	39	5	34	14	10	2	8
16	कर्नाटक	6	1	5	5	0	0	0	0	0
17	केरल	29	1	28	27	1	0	1	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	महाराष्ट्र	3	0	3	3	0	0	0	0	0
21	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	मेघालय	2	0	2	2	0	0	0	0	0
23	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	उडीसा	6	0	6	6	0	0	0	0	0
26	पुदुचेरी	3	0	3	3	0	0	0	0	0
27	पंजाब	4	0	4	4	0	0	0	0	0
28	राजस्थान	1	0	1	1	0	0	0	0	0
29	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तेलंगाना	3	1	2	2	0	0	0	0	0
32	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	उत्तर प्रदेश	1648	560	1088	1047	41	22	13	0	6
34	उत्तराखंड	64	0	64	60	4	4	0	0	0
35	पश्चिम बंगाल	48	3	45	41	4	3	0	0	1
	कुल	**2859**	**662**	**2197**	**2059**	**138**	**53**	**66**	**3**	**16**

अनुलग्नक -II

नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट जल का बहि:स्त्राव किया जाना" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 03.04. 2023 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3599 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदूषित नदी खंड

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रदूषित नदी खंडों का नाम	संख्या
1	आंध्र प्रदेश	वशिष्ठ, गोस्तानी और उपपुतेरु	3
2	असम	भरालू, बेगा, बूढ़ीडीहिंग, धनसिरी, डिगबोई, खरसंग, कुलसी, मोरा भराली, पगल्डिया और टोकलाई	10
3	बिहार	सिरसिया (गंगा) बिहार, लखनदेई, रामरेखा, बूढ़ी गंडक/सिकरहना, दहा, गंगा, गंगी, हरबोरा, कोहरा (गंगा), पुनपुन, बागमती, धौस, गंडक, घाघरा, कमला (बिहार) गंगा, मनुस्मार, परमार और सोन	18
4	छत्तीसगढ	खारून, अरपा, सियोनाथ, हसदेव, केलो और महानदी	6
5	दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	दमनगंगा	1
6	दिल्ली	यमुना	1
7	गोवा	जुआरी, कालना, खंडेपर, मंडोवी, मापुसा और साल	6
8	गुजरात	अमलखड़ी, भादर, धादर, खारी, साबरमती, विश्वामित्री, मिंधोला, माही, शेढ़ी, भोगवो, भुखी खादी, दमनगंगा और तापी	13
9	हरियाणा	धग्गिर,युमना और मारकंडा	3
10	हिमाचल प्रदेश	अश्विनी खड्ड, बाल्ड, सिरसा, सुखाना, रट्टा, गिरि, मारकंडा, पब्बर और शिकारी खड्ड	9
11	जम्मू और कश्मीर	चुंटकोल, तवी, बाणगंगा (जम्मू और कश्मीर), देवक झेलम, लिद्दर, बसंतर और गावकदल	8
12	झारखंड	हरमू, खरखाई, सुवर्णरेखा, बोकारो, दामोदर, गर्ग, जुमार, कतरी, कोईना,	9
13	कर्नाटक	अर्कावती, दक्षिणक पिनाकिनी, थेन्पेनई, भद्रा, शिमशा, तुंगभद्रा, अघनाशिनी, भीमा, कावेरी, गंगावली, काबिनी, कागिना, कृष्णा, लक्ष्मणतीर्थ, नेत्रावती, शरावती और तुंगा	17
14	केरल	कर्माना, नेय्यर, वामनपुरम, अयरूर, चालकुडी, चित्रपुझा, कदलुंडी, कदंबयार, कल्लई, कल्पथी पूझा, कोरयार, ममोम, मणिमाला, पंबा, पेरियार, पुल्लुर, भिरूर और उप्पला	18
15	मध्य प्रदेश	चंबल, खान, क्षिप्रा, बेतवा, हिरन, जोहिला, कन्हन, सोन, बिछिया, चामला, कलियासोत, कुंडा, माही, माली, मंदाकिनी (एमपी), नेवज, पार्वती (गंगा), तापी और वर्धा	19
16	महाराष्ट्र	भीम, मीठी, मुथा, सावित्री, गोदावरी, कन्हन, मूला, मुला-मुथा, पवन, चंद्रभागा, डरना, घोड़, गिरना, इंद्रायणी, कृष्णा, कुंडलिका, मोरना, मुचकुंडी, नीरा (कृष्णा), पातालगंगा, रंगावली, सूर्या, तापी , तितुर, वाघुर, वैनगंगा, वर्धा, भाटसा, बुरई, कालू, कान, कोयना, मंजीरा, मोर, पंजारा, पेढ़ी, पहलर, पेंगंगा, पूर्णा, सीना, उर्मोदी, वेल, वेन्ना (महाराष्ट्र), कृष्णा, वेना, अंबा, अमरावती (तापी), बिंदुसार, बोरी, गोमई, हिवारा, कोलार (महाराष्ट्र), तानसा, उल्हास, वैतरणा और वशिष्ठ	55
17	मणिपुर	इम्फाल, नम्बुल, बराक, चकपी, इरिल, खुगा, खुजैरोक, लोकचाओ, महा, मणिपुर, सेकमाई, थौबल और वांगजिंग	13
18	मेघालय	उम्खराह, उमशिर्पी, मिंटडू, किर्हुखला, लुखा, नोनबाह और उमडू	7
19	मिजोरम	लॉबुएल, तुइकुअल और चिथे	3
20	नागालैंड	धनसिरी, दजू, दजुना और सानो	4
21	उडीसा	गंगुआ, दया, कुआखाई, मंगला, ब्राह्मणी, कथाजोड़ी और सेरुआ	7
22	पुदुचेरी	गौतमी-गोदावरी, कोरिंगा और चुन्नंबर	3
23	पंजाब	घग्गर, सिरसा, सतलुज, काली वेईं और स्वान	5
24	राजस्थान	बनास, बांदी, जवाई, गुवर्दी, कानोता, खारी, कोठारी, बेरेच, भंवर सेमिला, चंबल, गंभीरी, लूनी, माही और पिप्लाद	14
25	तमिलनाडु	अड्यार, कूम, थिरुमनिमुथर, वशिष्ठ, सरबंगा, कावेरी, ताम्बिरपरानी, अमरावती (कावेरी), भवानी और पलार	10
26	तेलंगाना	मुसी, गोदावरी, मनायर, नक्कावगु, कारकावागु, किन्नरसानी, कृष्णा, मंजीरा और मुनेरू	9
27	त्रिपुरा	होरा	1
28	उत्तर प्रदेश	बहेला, हिंडन, काली (पश्चिम), कालिनदी (पूर्व), वरुणा, यमुना, गोमती, बेतवा, रामगंगा, बाणगंगा (गंगा), गंगा, घाघरा, पिलखर, राप्ती, रिहंद, सई और सोन	17
29	उत्तराखंड	बहेला, ढेला, कल्याणी, सुसवा, किच्छा (किटचा), कोशी (यूके), नंदौर, पिलखर और बाणगंगा (गंगा)	9
30	पश्चिम बंगाल	महानंदा, चुनर्नी, विंध्यधारी, मठ भंग, गंगा, जलंगी, कांसी, बराकर, दामोदर, द्वारकेश्वर, द्वारका, रूपनारायण और तीस्ता	13
कुल योग:			**311**
